

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल को वनियमिति करने की अनुमति देना

प्रलिस के लिये:

[सर्वोच्च न्यायालय](#), [महत्त्वपूर्ण नरिणय](#), [संवैधानिक पीठ](#), [केंद्र-राज्य संबंध](#), [औद्योगिक अल्कोहल](#), [7वीं अनुसूची](#), [उत्पाद शुल्क](#), [वस्तु और सेवा कर \(GST\)](#)

मेन्स के लिये:

भारत में संघवाद, सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण नरिणय, सहकारी संघवाद, संघवाद के लिये चुनौतियाँ, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, [सर्वोच्च न्यायालय](#) की नौ न्यायाधीशों की [संवैधानिक पीठ](#) ने 8:1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्यों को [औद्योगिक अल्कोहल](#) को वनियमिति करने का अधिकार है, इस फैसले में वर्ष 1990 के फैसले [\[1990\] 1 SCR 1000](#) (1990) को खारजि कर दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार के नरिणय का समर्थन किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ क्या है?

परचिय:

○ सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक पीठ में पाँच या उससे अधिक न्यायाधीश होते हैं, जनिहें केवल वशिषिट कानूनी मामलों के लिये ही आमंत्रित किया जाता है। ये पीठें कोई नरिणयि प्रकरिया नहीं हैं।

गठन के लिये परस्थितियाँ:

- **अनुच्छेद 145(3): अनुच्छेद 143** के तहत महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों या संदर्भों से जुड़े मामलों पर नरिणय लेने के लिये आवश्यक न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पाँच है।
- **वविदति नरिणय:** जब वभिन्न तीन न्यायाधीशों की पीठों से परस्पर वविदति नरिणय सामने आते हैं, तो मुद्दे को हल करने के लिये एक वशिष संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है।

औद्योगिक अल्कोहल:

- **औद्योगिक अल्कोहल मूलत:** अशुद्ध अल्कोहल है जिसका उपयोग औद्योगिक वलियक के रूप में किया जाता है।
- इथेनॉल में बेंज़ीन, परिडीन, गैसोलीन आदि जैसे रसायनों को मलाने से (**इस प्रकरिया को वकिृतीकरण कहा जाता है**) यह औद्योगिक अल्कोहल में बदल जाता है, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो जाती है जो यह मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त हो जाता है।
- **अनुप्रयोग:** फार्मास्यूटिकल्स, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन और सफाई संबंधी तरल पदार्थों में उपयोग किया जाता है।
 - कभी-कभी इसका उपयोग अवैध शराब, सस्ते और खतरनाक नशीले पदार्थ के नरिमाण में भी किया जाता है, जनिके सेवन से अंधापन और मृत्यु सहित गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं।

औद्योगिक अल्कोहल पर सर्वोच्च न्यायालय पीठ ने क्या फैसला दिया है?

- **परभाषा का विस्तार:** बहुमत वाली पीठ ने 2017-18 के फैसले को पलट दिया है, जिसमें "मादक शराब" की परभाषा को पीने योग्य शराब तक सीमित कर दिया गया था तथा राज्यों को औद्योगिक शराब पर कर लगाने से रोक दिया गया था।
- **बहुमत की राय:** खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि "नशीली शराब" में सरिफ मादक पेय या पीने योग्य शराब ही शामिल नहीं है। सभी प्रकार की शराब जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इस परभाषा के अंतर्गत आती है।
 - न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शराब, अफीम और नशीली दवाओं जैसे पदार्थों का दुरुपयोग किया जा सकता है तथा फैसला सुनाया कि संसद मादक शराबों पर राज्य की शक्तियों को खत्म नहीं कर सकती है, और कहा कि "नशीली" का अर्थ "जहरीला" भी हो सकता है, जिससे व्यापक वर्गीकरण की अनुमति मिलती है।
- **असहमतपूरण राय:** न्यायमूर्ति बी.वी. नागरतना ने औद्योगिक अल्कोहल के वनियमन के संबंध में बहुमत के फैसले से असहमत वियक्त की और तर्क दिया कि केवल इसलिये कि "औद्योगिक अल्कोहल" का संभावित दुरुपयोग हो सकता है, प्रवर्षिट 8 - सूची II को ऐसे "औद्योगिक अल्कोहल" को शामिल करने के लिये नहीं बढ़ाया जा सकता है।
 - राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल को वनियमति करने की अनुमति देने से अल्कोहल वनियमन के पीछे वधायी मंशा की गलत व्याख्या हो सकती है।

औद्योगिक अल्कोहल वनियमन पर केंद्र बनाम राज्यों के तर्क:


- **केंद्र सरकार का तर्क:**
 - औद्योगिक अल्कोहल को संघ सूची की प्रवर्षिट 52 के अंतर्गत "उद्योग" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे केंद्र को सार्वजनिक हति में समझे जाने वाले उद्योगों को वनियमति करने की अनुमति मिल गई है।
 - इसमें कहा गया है कि औद्योगिक शराब का व्यापार, वाणज्य, आपूर्ति और वतिरण समवर्ती सूची की प्रवर्षिट 33(A) के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्रीय नगिरानी की अनुमति देता है।
 - केंद्र का कहना है कि औद्योगिक शराब उद्योग (विकास और वनियमन) अधनियम, 1961 के अधिकार कषेत्र में आती है, तथा दावा किया कि यह वनियमन के लिये "कषेत्र पर कब्जा कर लेती है"। इसलिये, राज्य इस वषिय पर अपने नयिमन लागू नहीं कर सकते।
 - केंद्र का तर्क है कि औद्योगिक अल्कोहल ने वनियमन के "कषेत्र पर अधिकार कर लिया है" जो उद्योग (विकास और वनियमन) अधनियम, 1961 के अधीन है। इसलिये राज्य इस वषिय पर अपने कानूनों को लागू करने में असमर्थ हैं।
- **राज्यों का तर्क:**
 - राज्य सूची की प्रवर्षिट 8 के अंतर्गत वनियमन के लिये तर्क देने के साथ मदरि पर कर लगाने के अधिकार पर बल दिया गया, जिसमें औद्योगिक मदरि भी शामिल है।
 - राज्यों द्वारा अवैध उपभोग से नपिटने और राजस्व उत्पन्न करने के लिये प्राधिकार बनाए रखने की आवश्यकता (वशेष रूप से GST के कार्यान्वयन के बाद) है।

राज्यों के लिये शराब पर कर लगाने का महत्त्व

- **राजस्व सृजन:** शराब पर कर लगाना राज्यों के लिये राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरण के लिये वर्ष 2023 में कर्नाटक ने भारत नरिमति शराब (IML) पर अतरिकित उत्पाद शुल्क (AED) 20% तक बढ़ा दिया।
- **वत्तीय नरिभरता:** महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य अपने राजस्व का एक प्रमुख हस्सा शराब करों से प्राप्त करते हैं, जो उनके कुल उत्पाद शुल्क राजस्व का लगभग 30-40% है।
- **लोक सेवाओं का वत्तिपोषण:** शराब पर कर का उपयोग स्वास्थ्य सेवा और शक्तिा सहति आवश्यक लोक सेवाओं के वत्तिपोषण के लिये किया जाता है।

THE GOLDEN GOOSE

Major states collected more than ₹2 trillion under state excise in 2021-22.



*BE figure for 21-22 used as RE figure was not available

Source: RBI, PRS

उद्योग (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1951

- उद्योग (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1951 भारत में औद्योगिक विकास और वनियमन के लिये वधिक और वैचारिक ढाँचा प्रदान करता है।
- इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य:
 - देश में उद्योगों के विकास को न्यंत्रित और नरिदेशित करना,
 - नष्पिकष संसाधन वतिरण को बढ़ावा देना,
 - आर्थिक शक्ति संकेन्द्रण से बचना,
 - संतुलित एवं न्यंत्रित औद्योगिक वसितार को महत्त्व देना।
- यह अधिनियम केन्द्र सरकार को नम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान करता है:
 - कुछ उद्योगों के उत्पादन, आपूर्ति और वतिरण को वनियमित करना
 - नये उद्योगों की स्थापना पर प्रतर्बिध लगाना
 - उद्योगों को संचालन हेतु लाइसेंस प्रदान करना

